करार सं0

(8)

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन एवं अनुश्रवण कक्ष

स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के बीच सामान्य अवसंरचना की साझेदारी

के लिए

करार

(अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी (घरेलू) ओएसपी केंद्रों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बिना साझेदारी वाले, स्वतंत्र और पृथक इपीएबीएक्स)

कुल पृष्ठ ....

स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच सामान्य अवसंरचना की साझेदारी

के लिए

करार

यह करार .... (माह) के .... (दिन) .... (वर्ष) को **प्रथम पक्षकार** भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री .... उप महानिदेशक/निदेशक, टीईआरएम सेल (.........), दूरसंचार विभाग (मुख्यालय), भारत सरकार .... (कार्यालय पता) (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी " कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों सहित संदर्भ के संबध में जब तक प्रतिकूल न हो) द्वारा

और

द्वितीय पक्षकार मै0 ...., जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय .... में स्थित है, की ओर से श्री .... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके बाद **"ओएसपी"** कहा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारियों, प्रशासकों, परिसमापकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुमत्य समनुदेशितों सहित संदर्भ के संबंध में जब तक प्रतिकूल नहीं हो) के बीच किया जाता है।

(i) **जबकि** दूरसंचार विभाग के पास भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी अनुदश के अधीन ओएसपी को पंजीकृत करने का प्राधिकार है **और जबकि ओएसपी** का पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार पंजीकरण सं0 .... दिनांक .... के तहत .... स्थान पर स्वदेशी **ओएसपी** केंद्र स्थापित है/स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ii) **और जबकि ओएसपी** का पंजीकरण के निबंधन और शर्तों के अनुसार पंजीकरण सं0 .... दिनांक .... के तहत .... स्थान पर अंतराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र स्थापित है/स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(iii) **और अब जबकि ओएसपी** ने अंतरराष्ट्रीय और स्वदेशी ओएसपी केंदों के बीच एक जैसी अवसंरचना की साझेदारी के लिए अनुरोध किया है।

तदनन्तर और उक्त अनुरोध के अनुसरण में प्राधिकारी ने इसके साथ संलग्न सूची में यथा वर्णित अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी के लिए निबंधन और शर्तों के अनुसार ओएसपी (जिसे इसके बाद "सुविधा " कहा गया है) के स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच एक जैसी अवसंरचना सुविधा की साझेदारी के लिए ओएसपी को पंजीकृत करने की सहमति दे दी है।

पक्षकार अब निम्नलिखित अनुसार सहमत हैं :

1. ऐसी सुविधा (स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच एक जैसी अवसंरचना की साझेदारी के लिए) का पंजीकरण 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। यह अवधि समाप्त हो जाने के बाद इसकी अवधि में अधिकतम 3 वर्ष का और विस्तार किया जा सकता है।
2. पंजीकरण इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और करार, पंजीकरण की वैधता अवधि तक वैध बना रहेगा।
3. ओएसपी की एतद्द्वारा इसके साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित सभी निबंधन और शर्तों का पूर्णरूपेण अनुपालन करने की स्पष्टः वचनबद्धता और सहमति है ओर यह इसके पश्चात ओएसपी पर बाध्यकारी होगा।
4. स्वदेशी ओएसपी केंद्र और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र एक ही कंपनी से संबद्ध होंगे।
5. ओएसपी न्यूनतम 50 सीटों वाला कॉल सेंटर संस्थापित करेगा।
6. स्वदेशी ओएसपी केंद्र और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र के पास बिना साझेवाला, पृथक और स्वतंत्र ईपीएबीएक्स होगा किंतु उनकी प्रचालक अवस्थिति साझी हो सकती है।
7. स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच कोई भी वॉइस परियात का प्रवाह नहीं होगा और प्राधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाईपास नहीं किया जाएगा।
8. ओएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली का अभिलेख रद्दोबदल करने लायक न हो (टैम्पर प्रूफ) ओर प्रणाली अभिलेख न्यूनतम छह माह के लिए सुरक्षित रहे। प्राधिकारी के पास इन प्रणाली अभिलेखों की मांग किए जाने पर पूछताछ करने और साइट का निरीक्षण भी करने का अधिकार सुरक्षित हो।
9. ओएसपी निर्धारित प्रपत्र मे ऐसे पंजीकरण की अवधि के लिए दूरसंचार विभाग के पक्ष में 50 लाख रु0 (पचास लाख रु0) बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।
10. 3 वर्ष की समाप्ति के बाद पंजीकरण अवधि के विस्तार के लिए ओएसपी अवधि की समाप्ति की तारीख से 60 दिन पहले बैंक गारंटी की विस्तारित वैधता अवधि के साथ वैधता अवधि में विस्तार के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर पंजीकरण बिना नोटिस दिए रद्द कर दिया जाएगा।
11. प्राधिकारी के पास, आवधिक रूप से अथवा जब कभी भी वह ऐसा करना चाहे, लेखा-परीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित हो।
12. प्राधिकारी के पास अपनी संतुष्टि के लिए अभिज्ञात इसके परिशिष्ट के रूप में संलग्न अनुसूची में अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी के किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन होने के मामले में प्रतिभूति जमा को जब्त करने का अधिकार होगा। ओएसपी अपने कर्मचारियों सहित (और केवल उन्हीं तक सीमित नहीं) किसी के भी द्वारा कथित निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने के लिए जिम्मेवार होगा। प्राधिकारी के पास ओएसपी द्वारा धारित पंजीकरण के निरस्तीकरण को शामिल करते हुए समुचित कार्रवाई के लिए अधिकार सुरक्षित होगा और कंपनी को ऐसे पंजीकरण के निरस्तीकरण की तारीख से तीन वर्ष के लिए ओएसपी पंजीकरण लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
13. कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ओएसपी से संबंधित निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर कंपनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ओएसपी पंजीकरण लेने से 3 वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

565

14. ओएसपी सहमत है कि उपर्युक्त प्रस्तुत कोई भी सूचना गलत अथवा झूठी पाई जाने पर ओएसपी किसी दंडात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम जैसा विधि द्वारा निर्धारित हो अथवा अन्यथा अधिपत्र निर्धारित हो, के लिए जिम्मेवार होगा।

पक्षकार जिनके अभिशाक्ष्य में .... (दिन) .... (माह) .... (वर्ष) को उनके संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए यह करार निष्पादित हुआ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षरित	मैसर्स .... की ओर से ....../...../....... को हस्ताक्षरित
के द्वारा	के द्वारा
श्री .... (नाम और पदनाम) उप महानिदेशक / निदेशक, टीईआरएम प्रकोष्ठ	श्री .... (नाम और पदनाम), प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा निदेशक मंडल द्वारा पारित दिनांक .... के संकल्प सं0 .... के अनुसरण में निष्पादित मुख्तारनामा आम दिनांक .... का धारक

निम्न की उपस्थिति में :

साक्षी :

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय पता स्थान

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय पता स्थान

580

बैंक गारंटी

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
तार प्राधिकारी के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा उप महानिदेशक/निदेशक, टीईआरएम प्रकोष्ठ (.............) दूरसचांर विभाग, भारत सरकार .... (कार्यालय पता) (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के मार्फत, मैसर्स.................... जिनका पंजीकृत कार्यालय .... में अवस्थित है ....(जिन्हें इसके बाद ओएसपी कहा गया है) को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र स्थापित करने, अनुरक्षण करने और प्रचालित करने के लिए घरेलू ओएसपी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी हेतु पंजीकरण जारी किए जाने और ओएसपी द्वारा .... पर (पंजीकृत ओएसपी केंद्रों की अवस्थिति का पता लिखिए जहाँ एक जैसी अवसंरचनाओं की साझेदारी प्रस्तावित है) ओएसपी के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच एक जैसी अवसंरचना सुविधा (जिसे इसके बाद "सुविधा" कहा गया है) की साझेदारी के लिए करार की अनुसूची में विहित "अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो जाने पर तथा आशय पत्र दिनांक और आशय पत्र में यथा निर्धारित करार जो प्राधिकारी और ओएसपी के बीच किया जाना है और जिसके अनुसार उसके साथ दी गई अनुसूची में उल्लिखित "अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" हेतु निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जाना है (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसमें निहित निबंधन और शर्तों का उचित रूप में अनुपालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में 1,00,00,000 (एक करोड़ रु0 मात्र) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, हम.............(बैंक का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया) ओएसपी के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गारंटी देते हैं कि ओएसपी करार में निहित निबंधन और शर्तों का पालन करेगा।

2. हम, बैंक, ओएसपी द्वारा करार की किसी भी शर्त, उसमें समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों सहित, का अनुपालन करने में विफल रहने पर "अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" के करार और/या निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण प्राधिकारी को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो 1,00,00,000 रु0 (एक करोड़ रु0 मात्र) से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, जमानतदार के रूप में प्राधिकारी को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो 1,00,00,000 रु0 (एक करोड़ रु0 मात्र) से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं और यह भी उल्लेख करते हैं कि दावा की गई यह राशि उक्त करार के निबंधन और शर्तों के अनुसरण में ओएसपी द्वारा विफल रहने के कारण है।

4. **हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं** कि ओएसपी द्वारा करार के किसी निबंधन और शर्त का पालन करने में विफल रहने पर उसके कारण बैंक द्वारा प्राधिकारी को देय राशि कितनी होगी इस संबंध में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकर होगा।

5. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या करार के वैध रहने तक, इनमें से जो बाद में हो, तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी।

(ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और इस करार या इसके नीचे दिए दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी हेतु निबंधन और शर्तों या करार के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त ओएसपी द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा प्राधिकारी द्वारा ओएसपी के विरूद्ध प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों को किसी समय के लिए या समय-समय पर मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त ओएसपी के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त करार से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त ओएसपी से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) ओएसपी के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) बैंक या ओएसपी के विधान (या संघटन) में परिवर्तन के कारण इस गारंटी में काई परिवर्तन नहीं होगा।

दिनांक

....दिन..कृते.....................................
..

(बैंक का नाम)

साक्षी :

1...
....
....
....

2...
....

बैंक गारंटी

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
तार प्राधिकारी के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा उप महानिदेशक/निदेशक, टीईआरएम प्रकोष्ठ (.............) दूरसचांर विभाग, भारत सरकार .... (कार्यालय पता) (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के मार्फत, मैसर्स..................... जिनका पंजीकृत कार्यालय .... में अवस्थित है ....(जिन्हें इसके बाद ओएसपी कहा गया है) को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्र स्थापित करने, अनुरक्षण करने और प्रचालित करने के लिए घरेलू ओएसपी और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी हेतु पंजीकरण जारी किए जाने और ओएसपी द्वारा .... पर (पंजीकृत ओएसपी केंद्रों की अवस्थिति का पता लिखिए जहाँ एक जैसी अवसंरचनाओं की साझेदारी प्रस्तावित है) ओएसपी के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ओएसपी केंद्रों के बीच एक जैसी अवसंरचना सुविधा (जिसे इसके बाद "सुविधा" कहा गया है) की साझेदारी के लिए करार की अनुसूची में विहित "अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हो जाने पर तथा आशय पत्र दिनांक और आशय पत्र में यथा निर्धारित करार जो प्राधिकारी और ओएसपी के बीच किया जाना है और जिसके अनुसार उसके साथ दी गई अनुसूची में उल्लिखित "अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" हेतु निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जाना है (जिसे इसके बाद करार कहा गया है) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसमें निहित निबंधन और शर्तों का उचित रूप में अनुपालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में 50,00,000 (पचास लाख रु0 मात्र) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, हम.............(बैंक का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया) ओएसपी के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गारंटी देते हैं कि ओएसपी करार में निहित निबंधन और शर्तों का पालन करेगा।

2. हम, बैंक, ओएसपी द्वारा करार की किसी भी शर्त, उसमें समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों सहित, का अनुपालन करने में विफल रहने पर "अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी" के करार और/या निबंधन और शर्तो का उल्लंघन किए जाने के कारण प्राधिकारी को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो 50,00,000 (पचास लाख रु0 मात्र) से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, जमानतदार के रूप में प्राधिकारी को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो 50,00,000 (पचास लाख रु0 मात्र) से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं और यह भी उल्लेख करते हैं कि दावा की गई यह राशि उक्त करार के निबंधन और शर्तों के अनुसरण में ओएसपी द्वारा विफल रहने के कारण है।

4. **हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं** कि ओएसपी द्वारा करार के किसी निबंधन और शर्त का पालन करने में विफल रहने पर उसके कारण बैंक द्वारा प्राधिकारी को देय राशि कितनी होगी इस संबंध में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकर होगा।

5. **हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि**

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या करार के वैध रहने तक, इनमें से जो बाद में हो, तक पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी।

5

(ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और इस करार या इसके नीचे दिए दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना अन्य सेवा प्रदाता श्रेणी हेतु निबंधन और शर्तों या करार के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त ओएसपी द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा प्राधिकारी द्वारा ओएसपी के विरूद्ध प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों को किसी समय के लिए या समय-समय पर मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त ओएसपी के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त करार से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त ओएसपी से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) ओएसपी के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) बैंक या ओएसपी के विधान (या संघटन) में परिवर्तन के कारण इस गारंटी में काई परिवर्तन नहीं होगा।

दिनांक ....दिन...कृते......................................
..

(बैंक का नाम)

साक्षी :

1..
....
....
....

2..
....